

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगाँव से नार्हीकला तक मार्ग के निर्माण हेतु 2.03 है० वन भूमि के एवज में जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक-456/12ए-72(2017-2020)/डी०एल०आर०सी० दिनांक 30.07.2018 के द्वारा ग्राम-सनगाँव, परगना-परवाडून, तहसील-डोईवाला, जनपद-देहरादून के खाता खतौनी संख्या-99, के खसरा नं० 408ख मध्ये रकबा 4.06 है० वन भूमि हस्तान्तरित की गयी।

वर्ष- 2023-24 थानो रेंज देहरादून वन प्रभाग।

क्र०सं०	कार्य का नाम	नपत/ संख्या	मात्रा	दर	घनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	6
प्रथम वर्ष					
1	स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति है०	1.00	230	230.00
2	क्षेत्र में लैण्डाना झाड़ी कटान व फुकान	प्रति है०	1.00	5996	5996.00
3	चक प्लॉटों का सृजन (एक चैक प्लॉट 2 है० से अधिक का नहीं होगा)	प्रति है०	1.00	680	680.00
4	दीवाल बन्दी (1 है० में 150 रमी के आधार पर औसतन 100 मी० तक पत्थर ढुलान) 94.2 घ०मी० अथवा सीमेंट के पोल, खम्बे एवं तारबाड पर व्यय	प्रति है०	1.00	49896	49896.00
5	तारबाड के साथ दो लड सोलर फेसिंग कार्य।	प्रति है०	1.00	11500	11500.00
6	गड्डो का संरेखण चूने की कीमत सहित	प्रति सैकड़ा	2000	68	1360.00
7	गड्डा खुदान (30x30x45 सेमी)	प्रति गड्डा	2000	12.50	25000.00
8	1.5 वर्ष पौध उगाने पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (अनुपातिक व्यय)	प्रति पौध	2000	20.00	40000.00
9	रासायनिक खाद व कीटनाशक	प्रति सैकड़ा	2200	60.00	1320.00
10	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परीधि में जैविक घेरबाड कार्य (3 बल्व प्रति मी०) दो लेयर में	प्रति सैकड़ा	2000	240.00	4800.00
11	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (10 है० को एक यूनिट मानते हुए)	प्रति है०	1.00	138701.00	99138.00
12	अन्य व्यय	प्रति है०	1.00	1223	1223.00
	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य।	प्रति है०	1.00	1223	1223.00
	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	प्रति है०	1.00	3126	3126.00
	योग प्रथम वर्ष	-	-	-	244269.00
	क्रम संख्या-4 घेरबाड हेतु खम्बे एवं तार कय किये जाने पर SGST 9%+CGST9%= 18%	-	-	-	8981.28
	Total				253250.28
द्वितीय वर्ष					
1	गड्डो का खद/कीटनाशक मिलाकर भरान (30x30x45 सेमी)	प्रति गड्डा	2000	2.27	4540.00
2	पौधों की लदाई-उत्तराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	प्रति सैकड़ा	2200	105.00	2310.00
3	पौध ढुलान 10 प्रतिशत ढुलान में क्षति सहित	प्रति पौध	2200	11.00	24200.00
4	पौध रख-रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	प्रति पौध	2200	2.37	5214.00
5	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित	प्रति पौध	2000	4.45	8900.00
6	रोपण के पश्चात लैण्डाना झाड़ी कटान एवं फुकान	प्रति है०	1.00	3001	3001.00
7	निराई-गुडाई मल्लिंग व थावलाबन्दी	-	-	-	-
	प्रथम बार	प्रति पौध	2000	4.08	8160.00
	द्वितीय बार	प्रति पौध	2000	1.77	3540.00
8	देखरेख कार्य (अनुरक्षण कार्य) 09 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	9 माह	8579.00	8579.00
9	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	759.00	759.00

10	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, मूल्यांकन अभिलेखीकरण श्रम कल्याण कार्यलय स्टेशनरी हार्डवेयर वाहनों का रख-रखाव ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि।	प्रति है०	1.00	3126	3126.00
				Total	72329.00

तृतीय वर्ष

1	देखरेख/बीटिंगअप एवं अनुश्रव कार्य (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	1 माह	11418 प्रति माह	11418.00
2	वीडिंग, मल्विंग, होइंग (2 बार)	प्रति पौध	2000	6 प्रति पौध	12000.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है०	1.00	828.00	829.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	759.00	759.00
				Total	25006.00

चतुर्थ वर्ष

1	देखरेख/बीटिंगअप एवं अनुश्रव कार्य (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	1 माह	11418 प्रति माह	11418.00
2	वीडिंग, मल्विंग, होइंग (2 बार)	प्रति पौध	2000	6 प्रति पौध	12000.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है०	1.00	828.00	829.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	759.00	759.00
				Total	25006.00

पंचम से दशम वर्ष

1	देखरेख/बीटिंगअप एवं अनुश्रव कार्य (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०	1.00	11438	11438.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	759.00	759.00
				या	12197.00
					12200.00
					61000.00

षष्ठम वर्ष से दशम वर्ष तक उपरोक्तानुसार 5 वर्ष हेतु $5 \times 12200 =$

कुल योग-

या- 448791.28

448791.00

प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) की पत्र संख्या-1459/3-5-2 दिनांक- 01.07.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष- 2023-24 में क्षतिपूरण वनीकरण की दर रु०-448791 प्रति हेक्टर की दर से 4.06 हे० हेतु रु०-1822091.00 धनराशि मात्र।

Checked for Rs. 1822091/-

Draftsman
Dehradun Forest Division
Dehradun

वर्मागीय वमाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

456/12ए-72(2017-2020)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 30 जुलाई, 2018

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.06 है० बंजर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

उप जिलाधिकारी, डोईवाला
जनपद-देहरादून।

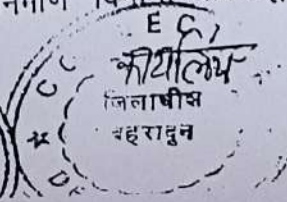
उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-269/एस0टी0/183(9)-2018 दिनांक 18 जुलाई, 2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये भूमि-प्रस्ताव तथा ग्राम सभा-सनगांव के अनापत्ति-पत्र दिनांकित 19.05.2018 के क्रम में शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 2.03 है० वन भूमि के एवज में ग्राम-सनगांव, परगना-परवाड़, तहसील-डोईवाला, जनपद-देहरादून के खाता खतौनी संख्या 99, के खसरा नं० 408ख मध्ये रकबा 4.06 है०, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ख-जंगल झाड़ी भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है :-

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये यह हस्तान्तरित/आवंटित की जा रही है।
 2. वन विभाग/सम्बन्धित विभाग से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।
 3. उक्त मार्ग के लिये वन विभाग/सम्बन्धित विभाग से सैद्धान्तिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश निर्गत होने के पश्चात ही उक्त भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा।
 4. उक्त मोटर मार्ग के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/वन विभाग से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ना होने की दशा में उपरोक्त वर्णित भूमि पुनः पूर्ववत मूल विभाग में स्वतः निहित हो जायेगी।
 5. उपरोक्त शर्तों विन्दु संख्या-01 से 04 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी।
- अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(एस0ए0मुरुरोशन)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।



20/7/18
जिलाधिकारी
देहरादून